

9/10/19

वकुभाय उमय पक्ष उपो इस प्राण्ड से  
सम्बन्धित मूल वाद में प्राण्ड 07 R 11 C 1  
स्वीकार की जाकर दावा खारीज किया जा  
सुझा है। अतः अब इस प्राण्ड में आगे  
कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं  
रहा है। अतः प्राण्ड खारीज किया जाता  
है। पत्रावली फंसल नुमार होकर नम्बर से  
कम होकर दारिपल दायर है।

(अनजु शर्मा)  
सहायक कलेक्टर  
फास्ट ट्रैक नीमकाथाना